


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक- 10-7-19

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0- 9220 /बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा दिनांक 12.07.2019, 13.07.2019, 14.07.2019 एवं 16.07.2019 को आयोजित 64वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा को सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराने के लिए विभागीय आदेश सं0-9158 दिनांक 09.7.2019 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में की गयी प्रतिनियुक्ति से श्री इब्रार अहमद खॉं, 951/11, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना को मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, बि0प्र0से0 को0 क0-959/11, गृह जिला-गया सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (मो0 नं0-9801073309) को दिनांक 12.07.2019, 13.07.2019, 14.07.2019 एवं 16.07.2019 को आयोजित 64वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा को सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराने के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

2. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 11.07.2019 को 3.30 बजे अपराहन में आयोग कार्यालय में आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वतः अपने पदस्थापनवाले पद पर योगदान कर लेंगे ।


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0-9220/पटना, दिनांक- 10-7-19
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने)/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव